



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2403]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939

No. 2403]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

का.आ. 2742(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खंड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (चक) के अनुसरण में केन्द्र सरकार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 की अनुसूची में निम्नलिखित उत्पादों को शामिल करती है, अर्थात: —

आदेश की अनुसूची में क्रमांक (1)	उत्पाद (2)	भारतीय मानक संख्या (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)
32	रेसेस्ड एलईडी ल्यूमिनरीस	भा.मा. 10322 (भाग5/ खंड 2):2012	ल्यूमिनरीस भाग 5: विशेष आवश्यकताएं भाग 2 रेसेस्ड ल्यूमिनरीस
33	सड़क और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी ल्यूमिनरीस	भा.मा. 10322 (भाग5/ खंड 3): 2012	ल्यूमिनरीस - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 3 सड़क और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए ल्यूमिनरीस
34	एलईडी फ्लड लाइट्स	भा.मा. 10322 (भाग5/ खंड 5):2013	ल्यूमिनरीस - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 5 फ्लड लाइट्स
35	एलईडी हैंड लैंप	भा.मा. 10322 (भाग 5/ खंड 6):2013	ल्यूमिनरीस - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 6 हंप लैंप
36	एलईडी लाइटिंग चेन	भा.मा. 10322 (भाग 5 / खंड 7):2013	ल्यूमिनरीस - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 7 लाइटिंग चेन

37	इमरजेंसी लाइटिंग के लिए एलईडी ल्यूमिनरीस	भा.मा. 10322 (भाग 5 / खंड 8):2013	ल्यूमिनरीस - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 8 इमरजेंसी लाइटिंग के लिए ल्यूमिनरीस
38	≤ 10 केवीए रेटिंग के यूपीएस / इनवर्टर	भा.मा. 16242 (भाग1):2014	यूपीएस के लिए सामान्य और संरक्षा आवश्यकताएँ
39	32" स्क्रीन आकार के प्लाज्मा / एलसीडी / एलईडी टीवी	भा.मा. 616:2010	ऑडियो, वीडियो और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - संरक्षा आवश्यकताएँ
40	32" स्क्रीन आकार के विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मॉनिटर	भा.मा. 13252 (भाग1):2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर - सामान्य संरक्षा आवश्यकताएं
41	सीसीटीवी कैमरा / सीसीटीवी रिकार्डर	भा.मा. 13252 (भाग1):2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएं
42	घरेलू और ऐसे ही विद्युत उपकरणों के लिए एडेप्टर	भा.मा. 302 (भाग1): 2008	घरेलू और ऐसे ही विद्युत उपस्करों की सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
43	यूएसबी संचालित बारकोड रीडर, बारकोड स्कैनर, आईरिस स्कैनर, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स	भा.मा. 13252 (भाग1):2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर - सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं
44	स्मार्ट घड़ियां	भा.मा. 13252 (भाग1):2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं

2. उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में इस आदेश के माध्यम से शामिल वस्तुओं पर "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012" के प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर लागू होंगे।

3. अनुसूची में उल्लिखित सभी वस्तुओं के लिए बीआईएस द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित नवीनतम मानक बीआईएस द्वारा ऐसे मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर लागू होंगे। ऐसे समय तक पहले से ही पंजीकृत वस्तुओं के लिए निगरानी परीक्षण जब कभी भी किया जाता है, यह नवीनतम मानकों के अनुसार होगा। इसके अलावा, पंजीकरण चक्र की वैधता की समाप्ति पर अनिवार्य पंजीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार नवीनतम मानकों के लिए पंजीकरण का नवीकरण किया जाएगा।

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का. आ. संख्या 2357(अ), के जरिए प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 को का.आ. 2034(अ), 4 अक्टूबर, 2013 के का.आ. 3022(अ), 13 नवम्बर, 2014 को का.आ. 2905(अ), 03 फरवरी, 2016 को का.आ. 345(अ), 10 फरवरी, 2016 को का.आ. 638(अ) और 24 अक्टूबर, 2016 को का.आ. 3509(अ) के द्वारा संशोधन किया गया।

[फा. सं. 37(5)/2016-आईपीएचडब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONIC AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2017

S.O. 2742(E).—In exercise of the power conferred by clause 10 (1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Central Government, hereby includes the following products to the Schedule of the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012, namely:—

S.No (1)	Product (2)	Indian Standard Number (3)	Title of Indian Standard (4)
32	Recessed LED Luminaires	IS 10322 (Part 5/Section 2): 2012	Luminaires Part 5: Particular Requirements Section 2 Recessed Luminaires
33	LED Luminaires for Road and Street lighting	IS 10322 (Part 5/Section 3): 2012	Luminaires - Part 5: Particular Requirements Section 3 Luminaires for Road and Street Lighting
34	LED Flood Lights	IS 10322 (Part 5/Section 5): 2013	Luminaires - Part 5: Particular Requirements Section 5 Flood Lights
35	LED Hand lamps	IS 10322 (Part 5/Section 6): 2013	Luminaires - Part 5: Particular Requirements Section 6 Lamp Lamps
36	LED Lighting Chains	IS 10322 (Part 5/Section 7): 2013	Luminaires - Part 5: Particular Requirements Section 7 Lighting Chains
37	LED Luminaires for Emergency Lighting	IS 10322 (Part 5/Section 8): 2013	Luminaires - Part 5: Particular Requirements Section 8 Luminaires for Emergency Lighting
38	UPS/Inverters of rating \leq 10kVA	IS 16242 (Part 1):2014	General and Safety Requirements for UPS
39	Plasma/ LCD/LED Television of screen size up-to 32"	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
40	Visual Display Units, Video Monitors of screen size up-to 32"	IS 13252 (Part 1):2010	Information Technology Equipment –Safety General Requirements
41	CCTV Cameras/CCTV Recorders	IS 13252 (Part 1):2010	Information Technology Equipment –Safety General Requirements
42	Adapters for household and similar electrical appliances	IS 302 (Part 1): 2008	Safety of Household and similar electrical appliances Part 1 General requirements
43	USB driven Barcode readers, barcode scanners, Iris scanners, Optical fingerprint scanners	IS 13252 (Part 1):2010	Information Technology Equipment –Safety General Requirements
44	Smart watches	IS 13252 (Part 1):2010	Information Technology Equipment –Safety General Requirements

2. The provisions of “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012” shall apply on the items added by virtue of this Order to the schedule of the said Order on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

3. For all the goods mentioned in the schedule, the latest standards as published & notified by BIS from time to time would apply on expiry of six months from the date of notification of such standards by BIS. For goods already registered till such time, the surveillance testing as and when carried would be as per the latest standards. Further, renewal of registration would be done to the latest standards as per the provisions of the Compulsory Registration Scheme on expiry of validity of registration cycle.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E), dated 5th July, 2013, S.O. 3022(E), dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E), dated 13th November, 2014, S.O. 345(E), dated 3rd February, 2016, S.O. 638(E), dated 10th February, 2016 and S.O. 3509(E), dated 24th October, 2016.

[F. No. 37(5)/2016-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.